भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4506
दिनांक 27.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

'हर घर नल से जल' और 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत लक्ष्य

4506. श्री दर्शन सिंह चौधरीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने 'हर घर नल से जल' और 'स्वच्छ भारत मिशन' के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या उक्त योजनाओं के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए किसी स्वतंत्र निकाय को नियुक्त किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार उक्त योजनाओं की प्रगति और प्रभावशीलता की निगरानी किस प्रकार कर रही है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्वित कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता वाली और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच वर्षों अर्थात 2019-20 से 2023-24 तक जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दी थी। जल जीवन मिशन को आगे जारी रखने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2025 के दौरान जेजेएम के वर्धित परिव्यय के साथ 2028 तक विस्तार की घोषणा की। विस्तारित अवधि में स्थिरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा संवितरण सुनिश्चित करने के लिए "जन भागीदारी" के माध्यम से ग्रामीण पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं की अवसंरचना और संचालन तथा रखरखाव (ओ एंड एम) की गुणवत्ता को प्राथमिकता देकर जेजेएम के तहत शेष कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

जल राज्य का विषय होने के कारण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों/कार्यों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों/कार्यों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

देश के सभी ग्रामीण परिवारों हेतु नल जल कनेक्शन के प्रावधान में तीव्रता लाने के लिए, जमीनी स्तर पर जेजेएम के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। इनमें नियमित आधार पर राज्य सरकारों के साथ उच्च स्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठकें आयोजित करना और विभाग से बहु-विषयक टीमों का दौरा करना शामिल है ताकि उन क्षेत्रों को सामने लाया जा सके जिनमें समयबद्ध तरीके से सभी परिवारों हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु ध्यान देने की आवश्यकता है।

अगस्त 2019 में जेजेएम की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 23.03.2025 तक, लगभग 12.31 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 24.03.2025 तक, देश के 19.37 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.54 करोड़ (80.29%) परिवारों के पास नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] 2 अक्टूबर, 2014 को 2 अक्टूबर, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच जाने को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। एसबीएम (जी) को जन आंदोलन के रूप में कार्यान्वित किया गया है। एसबीएम (जी) के पहले चरण के तहत 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण किया गया और देश के सभी गांवों ने 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वयं को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित कर दिया। ओडीएफ स्थिति प्राप्त करने के बाद, एसबीएम (जी) के चरण-II को 2020-21 से 2025-26 की अवधि के दौरान खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने और सभी गांवों को ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन से कवर करने अर्थात गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस (मॉडल) में परिवर्तित करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग): कुछ प्रतिष्ठित संगठनों अर्थात् विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आईआईएम बंगलौर, डेवलपमेंट इनोवेशन लैब-यूनिवसटी ऑफ शिकागो ने जल जीवन मिशन के आम आदमी के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के मूल्यांकन अध्ययन किए हैं। इन संगठनों ने रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, अतिसार से होने वाली मौतों में कमी के संदर्भ में जेजेएम के प्रभावों का मूल्यांकन किया है। रिपोर्ट निम्नलिखित लिंक (यूआरएल) पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं:
https://jaljeevanmission.gov.in/sites/default/files/2024-01/Potential-Impact-of-JJM.pdf

इसके अलावा, जेजेएम के तहत, यह विभाग नियमित रूप से स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसी के माध्यम से 'नल कनेक्शनों की कार्यशीलता का मूल्यांकन' करता है। मूल्यांकन कार्य के तहत, नल कनेक्शन की कार्यशीलता का मूल्यांकन तीन मापदंडों अर्थात मात्रा (55 एलपीसीडी या अधिक), गुणवत्ता और नियमितता अर्थात एक वर्ष में सभी 12 महीनों के लिए या दैनिक आधार पर जल की आपूर्ति के लिए किया जाता है। इन सभी मापदंडों का उपयोग विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार पारिवारिक नल जल कनेक्शन की कार्यशीलता को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। अंतिम कार्यशीलता मूल्यांकन की रिपोर्ट निम्नलिखित लिंक (यूआरएल) पर पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध है:
https://jaljeevanmission.gov.in/functionality-reports

पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) मलीय कीचड़ प्रबंधन (एफएसएम), बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट प्रबंधन तथा ग्रेवाटर प्रबंधन (जीडब्ल्यूएम) सहित पारिवारिक स्वच्छता मापदंडों का मूल्यांकन करने के लिए तृतीय पक्ष की सर्वेक्षण एजेंसी के माध्यम से स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (एसएसजी) करता है। एसएसजी के भाग के रूप में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रमुख मात्रात्मक और गुणात्मक स्वच्छता मापदंडों में उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर रैंक किया जाता है।

(घ): पारदर्शिता लाने और प्रभावी निगरानी के लिए एक ऑनलाइन जेजेएम डैशबोर्ड बनाया गया है जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला और ग्राम-वार प्रगति के साथ-साथ ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति के प्रावधान की स्थिति उपलब्ध कराता है।

एसबीएम (जी) की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में एसबीएम (जी) कार्यकलापों जैसे कि व्यक्तिगत और सामुदायिक/पारिवारिक शौचालयों के निर्माण, एसएलडब्ल्यूएम अवसंरचना, आईईसी, क्षमता निर्माण तथा वित्तीय प्रगति सहित प्रशासन संबंधी कार्यकलापों के प्रति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति कैप्चर की जाती है।

****